

पुस्तिका-11

नागरिक/ग्राहक चार्टर, राजभाषा विभाग

[(धारा 4 (1) (ख) (v)]

क्र.सं.	सेवाएं	सेवा / निष्पादन मानक	उत्तरदायी अधिकारी का संपर्क विवरण	प्रक्रियाएं	अपेक्षित दस्तावेज
क.	नीति संबंधी मामले : i) राजभाषा अधिनियम, 1963 ii) राजभाषा नियम, 1976 iii) राजभाषा नीति	1-3 मास **	डॉ श्री प्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक (नीति / पत्रिका / सीटीबी / प्रशिक्षण) टेली.: 23438250 ईमेल: shukla.sp@nic.in	स्पष्टीकरण / सुझाव संबंधी अनुरोध पर, यदि आवश्यक हो तो, संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके, अधिनियम/ प्रचलित नीति के संगत प्रावधानों के संदर्भ में विचार किया जाएगा।	जिस मुद्दे पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है, उसके संबंध में विशिष्ट विवरण देते हुए, अनुरोध सादे कागज़ पर किया जा सकता है तथा सुझाव सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ, यदि कोई है, दिए जा सकते हैं।
ख.	तकनीकी प्रकोष्ठ से संबंधित मामले : i) आई.टी. टूल्स ii) कंप्यूटर प्रशिक्षण iii) गैर-यूनिकोड से यूनिकोड में बदलना	1-2 मास 1-2 मास 1 मास	श्री संदीप आर्य, निदेशक (तक./कार्या./प्रशा.) टेलीफैक्स : 23438129 ई-मेल: dir-tech@nic.in	संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके, यदि आवश्यक हो तो, संगत प्रावधानों के संदर्भ में अनुरोधों पर विचार किया जाएगा।	अनुरोध सादे कागज़ पर, विस्तृत सूचना तथा सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ, यदि कोई हो, किया जा सकता है।

	iv) राजभाषा की वेबसाईट v) सी-डेक, डीआईटी और एनआईसी से संबंधित मामले	1 मास 1-2 मास	श्री केवल कृष्ण, वरि. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) टेलीफोन: 23438178 ई-मेल: kewal.krishan@nic.in		
ग.	राजभाषा विभाग / इसके अधीनस्थ कार्यालयों के बजट संबंधी मामले।	1-2 मास	श्री बी.एल. मीना, उपसचिव (बजट/सेवा) फोन : 23438002 ई-मेल: bl.meena81@nic.in	-वहीं-	-वहीं-
घ.	केंद्रीय हिंदी समिति (केएचएस) में नामांकन के लिए अनुरोध तथा विभिन्न मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों (एचएचएस) में नामांकन संबंधी मामले।		श्रीमती मंजुला सक्सेना, उप सचिव (शिकायत/अनुसंधान) फोन: 23438155 ई-मेल: manjula.saxena@nic.in	योग्यताओं, अनुभव तथा उस विषय से संबंधित दिशानिर्देशों के आधार पर अनुरोधों की जांच करना।	यह अनुरोध हिंदी में सादे कागज़ पर किया जा सकता, इसके साथ योग्यताओं, अनुभव आदि के प्रमाणस्वरूप विस्तृत प्रमाणित जीवन-वृत्त और संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ड.	सीएसओएलएस संवर्ग का प्रबंधन: क) संवर्ग संरचना ख) कर्मचारियों के सेवा मामले जैसे तैनाती, स्थानांतरण आदि। ग) वरिष्ठता / पदोन्नति से संबंधित अभ्यावेदन।	1-3 मास	श्री बी.एल. मीना, उप सचिव (बजट/सेवा) फोन : 23438002 ई-मेल: bl.meena81@nic.in	संबंधित संगठन जैसे डीओपीटी, विधि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग के साथ, यथावश्यक परामर्श करके अनुरोधों की जांच करना।	यह अनुरोध सादे कागज़ पर, विशिष्ट विवरणों तथा सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ किया जा सकता है।
च.	सीएचटीआई के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा उठाए गए /प्रस्तुत किए गए और राजभाषा विभाग को भेजे गए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (सीएचटीआई), नई दिल्ली से संबंधित मामले।	2 मास	डॉ श्री प्रकाश शुक्ल , संयुक्त निदेशक (नीति/ पत्रिका / सीटीबी / प्रशिक्षण) टेली.: 23438250 ईमेल: shukla.sp@nic.in	संगत नियमों के अनुसार तथा संबंधित संगठनों जैसे सीएचटीआई, डीओपीटी और यूपीएससी आदि से परामर्श करके अनुरोध की जांच करना।	यह अनुरोध, सादे कागज़ पर, विशिष्ट विवरणों तथा सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ किया जा सकता है।
छ.	सीटीबी के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा उठाए /प्रस्तुत किए गए और राजभाषा विभाग को भेजे गए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सीटीबी), नई दिल्ली से संबंधित मामले।	2 मास	डॉ श्री प्रकाश शुक्ल , संयुक्त निदेशक (नीति/ पत्रिका / सीटीबी / प्रशिक्षण) टेली.: 23438250 ईमेल: shukla.sp@nic.in	संगत नियमों के अनुसार तथा संबंधित संगठनों जैसे सीटीबी, डीओपीटी और यूपीएससी आदि से परामर्श करके अनुरोध की जांच करना।	यह अनुरोध, सादे कागज़ पर, विशिष्ट विवरणों तथा सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ किया जा सकता है।

ज.	आरआईओ के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा उठाए गए /प्रस्तुत किए गए, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, गाजियाबाद, भोपाल, कोच्ची और दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों (आरआईओ) से संबंधित मामले।	2 मास	श्री संदीप आर्य, निदेशक (तक./कार्या./प्रशा.) टेलीफैक्स : 23438129 ई-मेल: dir-tech@nic.in	संगत नियमों के अनुसार तथा संबंधित संगठनों से परामर्श करके अनुरोध की जांच करना।	यह अनुरोध, सादे कागज़ पर, विशिष्ट विवरणों तथा सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ किया जा सकता है।
झ.	राजभाषा नीति के उल्लंघन की सामान्य शिकायतें।	2 -3 मास	श्रीमती मंजुला सक्सेना, उप-सचिव (शिकायत/अनुसंधान) फोन: 23438155 ई-मेल: manjula.saxena@nic.in	संगत नियमों के अनुसार शिकायतों की जांच करना और संबंधित संगठन को सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह देना।	यह अनुरोध, सादे कागज़ पर, आरोपों के समर्थन में सत्यापित किए जाने योग्य तथ्यों और सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ किया जा सकता है।
ञ.	निम्नलिखित से संबंधित मामले: (क) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन (ख) राजभाषा गौरव	1-2 मास	श्री संदीप आर्य, निदेशक (तक./कार्या./प्रशा.) टेलीफैक्स : 23438129 ई-मेल: dir-tech@nic.in	नियमों के अनुसार और, जहां कहीं भी आवश्यक हो, संगठन से परामर्श करके इन अनुरोधों की जांच करना।	अनुरोध, सादे कागज़ पर, विशिष्ट विवरणों तथा सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ किया जा सकता है।

	पुरस्कार योजना (पुस्तकों के लिए)	1-2 मास			
	(ग) क्षेत्रीय सम्मान समारोह और संगोष्ठियां	1-2 मास			
	(घ) हिंदी दिवस	1-2 मास			
	(ड.) केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (सीओएलआईसी)	1-2 मास			
	(च) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (टीओएलआईसी)	2-3 मास			
ट.	वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधित मामले।	1-2 मास	श्रीमती मंजुला सक्सेना, उप-सचिव (शिकायत/अनुसंधान) फोन: 23438155 ई-मेल: manjula.saxena@nic.in	नियमों के अनुसार और, जहां कहीं भी आवश्यक हो संगठनों से परामर्श करके इन अनुरोधों की जांच करना।	अनुरोध, सादे कागज़ पर, विशिष्ट विवरणों तथा सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ किया जा सकता है।

<p>ढ.</p>	<p>निम्नलिखित से संबंधित मामले: क) राजभाषा विभाग का समन्वयन और प्रशासन। ख) राजभाषा विभाग में सामान्य रखरखाव।</p>	<p>1 मास</p>	<p>श्री संदीप आर्य, निदेशक (तक./कार्या./प्रशा.) टेलीफैक्स : 23438129 ई-मेल: dir-tech@nic.in</p>	<p>नियमों के अनुसार और, जहां कहीं भी आवश्यक हो संगठनों से परामर्श करके अनुरोधों की जांच करना।</p>	<p>यह अनुरोध, सादे कागज़ पर, विशिष्ट विवरणों तथा सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ किया जा सकता है।</p>
<p>ण.</p>	<p>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (सीएचटीआई),में निम्नलिखित के आयोजन से संबंधित मामले:- क) हिंदी भाषा, टंकण, आशुलिपि के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम। ख) विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित मामले। ग) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (सीएचटीआई),नई दिल्ली, के संबंध में इसके अधिकारियों / कर्मचारियों</p>	<p>1-2 मास</p>	<p>डॉ. जे.पी. कर्दम, निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली टेलीफैक्स : 24361852 ई-मेल: dirchti-dol@nic.in</p>	<p>नियमों के अनुसार और, जहां कहीं भी आवश्यक हो संगठनों से परामर्श करके इन अनुरोधों की जांच करना।</p>	<p>i) स्पष्टीकरण / सुधार के लिए सुझाव / सेवा संबंधी मामलों के लिए अनुरोध सादे कागज़ पर विशिष्ट विवरणों और सभी सांगत दस्तावेजों के साथ किया/दिया जा सकता है। ii) शिकायतें, सादे कागज़ पर, विशिष्ट सत्यापित किए जाने</p>

	<p>द्वारा उठाए / प्रस्तुत किए गए मामले।</p> <p>घ) उक्त संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें।</p> <p>ड.) वस्तुओं और सेवाओं के पूर्तिकारों की शिकायतें।</p> <p>च) परीक्षा/परिणाम से संबंधित मामले।</p>				<p>योग्य विवरणों और शिकायतकर्ता के पास मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ की जा सकती है।</p>
त.	<p>केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8 वां तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली से संबंधित मामले:-</p> <p>क) अनुवाद कार्य और अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम।</p> <p>ख) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सीटीबी), नई दिल्ली, के संबंध में इसके अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा उठाए /</p>	1-2 मास	<p>डॉ. एस. एन. सिंह, निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली</p> <p>टेलीफैक्स : 24362025</p> <p>ई-मेल: dirctb-dol@nic.in</p>	<p>नियमों के अनुसार और, जहां कहीं भी आवश्यक हो संगठनों से परामर्श करके अनुरोधों की जांच करना।</p>	<p>i) स्पष्टीकरण / सुधार लिए सुझाव / सेवा संबंधी मामलों के लिए अनुरोध सादे कागज़ पर विशिष्ट विवरणों और सभी सांगत दस्तावेजों के साथ किया/दिया जा सकता है।</p> <p>ii) शिकायतें, सादे</p>

	<p>प्रस्तुत किए गए मामले।</p> <p>ग) सीटीबी कार्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज संबंधी शिकायतें।</p> <p>घ) परीक्षा और परिणाम से संबंधित मामले।</p> <p>ड.) वस्तुओं और सेवाओं के पूर्तिकर्ताओं की शिकायतें।</p>				<p>कागज़ पर, विशिष्ट सत्यापित किए जाने योग्य विवरणों और शिकायतकर्ता के पास मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ की जा सकती है।</p>
थ.	<p>संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय से संबंधित मामले</p>	1-2 मास	<p>श्री एस.एस. राणा, सचिव, 11, तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली टेलीफैक्स : 23014187 ई-मेल: secy-cpol@nic.in</p>	<p>प्राप्त अनुरोधों की नियमों के संबंध में जांच करना और जहां कहीं भी आवश्यक हो संबंधित संगठन से परामर्श करना।</p>	<p>i) सेवा संबंधी मामलों में सुधार के लिए सुझाव / स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध सादे कागज़ पर किए जा सकते हैं । कृपया इसके साथ विशिष्ट विवरण और अन्य सभी संगत दस्तावेज संलग्न करें।</p> <p>ii) शिकायतें, सादे कागज़ पर की जा सकती हैं । शिकायतकर्ता</p>

					को शिकायत के समय सत्यापित किए जा सकने वाले विशिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे।
--	--	--	--	--	--

* अनुरोध / सुझाव / शिकायत के स्वरूप, प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए समय सीमा दी गई है।

** अधिनियम / नीति / नियमों में संशोधन की अपेक्षा रखने वाले अनुरोध और अन्य विभागों से परामर्श करने की अपेक्षा रखने वाले अनुरोधों पर कार्यवाही करने में अधिक समय लग सकता है।

क. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - हिंदी शिक्षण योजना

क्र.सं.	उत्तरदायित्व - केंद्र	अधिकारी का नाम	पता	कार्यक्षेत्र में आने वाले राज्य
1.	परीक्षा	श्रीमती सुमन लाल, उप निदेशक ई मेल : ddhts-exam-dol@nic.in फोन : 011-26175176 फैक्स सं. 011 - 26162093	लेवल -6, ईस्ट ब्लॉक-7, सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066	सभी
2.	मध्योत्तर	श्री भूपिंदर सिंह, उप निदेशक ई मेल : ddhts-nc-dol@nic.in फोन : 011-26195246 फैक्स सं. 011 - 26191572	लेवल -6, ईस्ट ब्लॉक-7, सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़
3.	मध्योत्तर	श्री संत राम, उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) ई मेल : ddts-hts-nc-dol@nic.in फोन : 011-26173775	लेवल -6, ईस्ट ब्लॉक-7, सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़
4.	दक्षिणी	डॉ. शोभा रानी, उप निदेशक फोन : 044-24919096 फैक्स सं. 044-24915466 ई मेल : ddts-hts-south-dol@nic.in	ई-विंग, सी-ब्लॉक, बेसेंट नगर, चेन्नई - 600090	तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुदुचेरी

5.	पूर्वी	श्री राम नारायण सरोज, उप निदेशक फोन : 033-22870793 फैक्स सं. 033-22874053 ई मेल : ddts-east-dol@nic.in	234/4, निजाम पैलेस परिसर, 18 वीं मंजिल, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता - 700020	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह
6.	पश्चिमी	डॉ बी.एन. झा, उप निदेशक, फोन : 022-27572705 फैक्स सं. 022-27565417 ई मेल : ddhts-west-dol@nic.in	केंद्रीय सदन, सी विंग, 6 ठा तल, सेक्टर -10, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई -400614	महाराष्ट्र, गुजरात, कर्णाटक, गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव,
7.	उत्तर-पूर्वी	श्रीमती कमलेश बजाज उप निदेशक, फोन : 0361-2675661 फैक्स सं. 0361- 2676879 ई मेल : ddhts-ne-dol@nic.in	एन.एफ. रेलवे मुख्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी -781011	असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश

ख) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय

क्र.सं.	उत्तरदायित्व - केंद्र	अधिकारी का नाम	पता	कार्यक्षेत्र में आने वाले राज्य
1.	पूर्वी	श्री निर्मल दुबे, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), फोन : 033-22875305, 22800356 ई मेल : ddriokol-dol@nic.in	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वी), 18 वां तल, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता -700030	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड
2.	उत्तर-पूर्वी	श्री बद्री यादव, अनुसंधान अधिकारी, ई मेल : ddriguw-dol@nic.in फोन : 0361-24643622	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर-पूर्व), राजगढ़ रोड, वाई-लेन,- शिलपुखारी पोस्ट, गुवाहाटी-700030	असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय
3.	दक्षिण	श्री टेक चंद, उप निदेशक (कार्यान्वयन), ई मेल : ddriobng-dol@nic.in फोन : 080-25536232	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), डी विंग, 5 वीं तल, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरु-560034	कर्णाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
4.	उत्तरी क्षेत्र - 1	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), ई मेल : ddriodel-dd@nic.in फोन : 011-24674674	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर-1), ए- 149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली- 110023	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान
5.	उत्तरी क्षेत्र - 2	श्री अजय मलिक उप निदेशक (कार्यान्वयन), ई मेल : ddriogzb-dol@nic.in फोन : 0120-2719356	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), कक्ष सं. 302, 3 रा तल, सीजीओ भवन, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद- 201001 (यू.पी.)	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

6.	पश्चिम	श्रीमती सुनीता देवी यादव, उप निदेशक (कार्यान्वयन), ई मेल : ddimpol-mum@nic.in फोन : 022-27560225	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केंद्रीय सदन, कक्ष सं. 601-ए, सेक्टर-10, 6 वीं मंजिल, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई- 400614	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव
7.	दक्षिण-पश्चिम	श्रीमती सुनीता देवी यादव, उप निदेशक (कार्यान्वयन), ई मेल : dd.riokoc-dol@nic1.in फोन : 0484-2427792	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), केंद्रीय भवन, ब्लॉक-सी, 7 वां तल, एसईएस, पी.ओ. कोच्ची -682037	केरल, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और लक्षद्वीप
8.	मध्य	श्री हरीश सिंह चौहान, (सहायक निदेशक) ई मेल : ddimpolbho-mp@nic.in फोन : 0755-2553149	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), निर्माण सदन, कमरा सं. 208, सीजीओ परिसर, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

ग) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के केंद्रों के उत्तरदायित्व

क्रम संख्या	उत्तरदायित्व केंद्र	अधिकारी का नाम	पता	कार्यक्षेत्र में आने वाले राज्य
1.	दक्षिणी	श्रीमती जानकी नायर, संयुक्त निदेशक ईमेल: jdctb@gmail.com टेलीफैक्स:080-25531946	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 5 वां तल,केंद्रीय सदन डी -विंग,कोरमंगला, बेंगलुरु- 560034	कर्नाटक,तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी,लक्षद्वीप
2.	पूर्वी	श्रीमती इन्दिरा राणा, सहायक निदेशक ईमेल: टेलीफैक्स : 033-22876044	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 67-बी,बालीगंज पार्क टॉवर, बी-ब्लॉक,10वां तल सर्कुलर रोड ,कोलकाता - 700019	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा झारखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
3.	पश्चिमी	श्री नरेश कुमार, सहायक निदेशक ईमेल: jdctb@gmail.com टेलीफैक्स:002-25611823	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो केंद्रीय सदन, छठा तल सेक्टर -10 ए,सीबीडी, बेलापुर, नवी मुम्बई - 400614	महाराष्ट्र गोवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात दमन और दीव

घ)संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय	श्री एस. एस. राणा, सचिव ईमेल: shyam.sunder@nic.in फोन नंबर :2301 4187	11,तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली- 110011
------------------------------	--	---

शिकायतों का निवारण

सेवा मानकों का अनुपालन न होने से संबंधित मामलों में सेवा प्राप्तकर्ता / हितधारक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित लोक शिकायत अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

डॉ बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव(रा.भा.)
राजभाषा विभाग,
एनडीसीसी-II भवन, 'बी' विंग
चौथा तल, जय सिंह रोड
नई दिल्ली - 110001
टेलीफैक्स:011-23438130
ईमेल: jsol@nic.in

3. शिकायतें, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतविभाग के लिंक <http://pgportal.gov.in> पर ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती है जिसके लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट <http://www.rajbhasha.nic.in> पर भी "Public Grievances" शीर्षक के अंतर्गत एक लिंक दिया गया है।

शिकायतों का संतोषजनक समाधान न होने पर

यदि शिकायतों का अंतिम रूप से निवारण नहीं हो पाता है तो उन्हें निम्नलिखित प्राधिकारी के समक्ष उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है:

प्रभास कुमार झा

सचिव(रा.भा.)

राजभाषा विभाग,

एनडीसीसी-II भवन, 'ए' विंग

तृतीय तल, जय सिंह रोड

नई दिल्ली - 110001

टेलीफैक्स: 23438266, 23438267

ईमेल: secy-ol@nic.in

सेवा प्राप्तकर्ता / हितधारककृपया निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें :

1. अनुरोध है कि स्पष्टीकरण / सुझावयहाँ उल्लिखित तरीके से प्रस्तुत किए जाएं ।
2. शिकायतें, सभी संबंधित दस्तावेजों सहित सत्यापन करने योग्य ब्यौरेवार तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्योंके साथ,यदि कोई हों, प्रस्तुत की जाएं ।
3. सेवा प्राप्तकर्ता / हितधारक अपना पूरा पता,संपर्क नंबर ,ईमेल पता तथा फैक्स न. अवश्य दें ।
4. नागरिक / ग्राहक चार्टर में शामिल सेवा (सेवाओं)से संबंधित शिकायतों को भी निम्नलिखित लिंक पर दर्ज किया जा सकता है:
5. इंटरनेट पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतविभाग के ऑनलाइन सेंट्रल पब्लिक ग्रीवन्सरेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएमएस)पर निम्नलिखित पते पर : <http://pgportal.gov.in>